Shodh Sangam Patrika
E-ISSN: 3049-0707, Volume 3 | Issue 3 | (July - September 2026)

मादक पदार्थों के उत्पादन, व्यापार एवं उपभोग का इतिहास : राजस्थान के विशेष संदर्भ में

Nemichand Badera
Jai Narayan Vyas University Jodhpur

सारांश

यह शोध पत्र राजस्थान में मादक पदार्थों के उत्पादन, व्यापार, उपभोग तथा अपराध से उसके संबंध का ऐतिहासिक, सामाजिक और कानूनी विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान में अफीम और भांग जैसे मादक पदार्थों का उपयोग प्राचीन एवं मध्यकालीन काल से सामाजिक एवं औषधीय परंपराओं से जुड़ा रहा है। औपनिवेशिक काल में अफीम उत्पादन और व्यापार ने संगठित एवं अंतरराष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण किया, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना प्रभावित हुई। स्वतंत्रता के पश्चात NDPS अधिनियम, 1985 के माध्यम से मादक पदार्थों के उत्पादन, वितरण और उपभोग को नियंत्रित करने के प्रयास किए गए, फिर भी अवैध तस्करी और डाइवर्जन की समस्याएँ बनी हुई हैं। राजस्थान की पाकिस्तान से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा इसे मादक पदार्थों की तस्करी के संदर्भ में संवेदनशील बनाती है। साथ ही, सामाजिक-आर्थिक विषमताएँ, बेरोजगारी, युवाओं में बढ़ता तनाव तथा बदलती जीवनशैली नशीले पदार्थों के उपभोग को प्रभावित करती हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि मादक पदार्थों का बढ़ता उपयोग स्वास्थ्य समस्याओं, मानसिक विकारों, अपराध दर में वृद्धि तथा पारिवारिक विघटन जैसी गंभीर चुनौतियों को जन्म देता है। यह शोध इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक विकास और मानव संसाधन पर भी गहरा प्रभाव डालती है। अतः समाधान हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण, जिसमें कठोर कानून प्रवर्तन, प्रभावी सीमा प्रबंधन, जन-जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता शामिल हो, अत्यंत आवश्यक है। यह अध्ययन नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं एवं सामाजिक संगठनों के लिए उपयोगी आधार प्रदान करता है।

सूचक शब्दः मादक पदार्थ, अफीम उत्पादन, NDPS अधिनियम 1985, राजस्थान, मादक पदार्थ तस्करी

प्रस्तावना

मादक पदार्थों (नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों) का उत्पादन, व्यापार और उपभोग मानव इतिहास का एक जटिल तथा बहुआयामी विषय रहा है। मादक पदार्थों का प्रारंभिक उपयोग धार्मिक, सामाजिक और चिकित्सा संदर्भों में होता था, जिसके प्रमाण वैदिक और मध्यकालीन ग्रंथों में मिलते हैं। प्राचीन भारत में भांग, धतूरा, सुरा आदि का सेवन सामाजिक अनुष्ठानों और औषधीय उपयोग के रूप में प्रचलित था, और इसका उल्लेख ऐतिहासिक शोध में भी मिलता है। राजस्थान सहित भारतीय उप-महाद्वीप में इस प्रकार के पदार्थों के प्रयोग के ऐतिहासिक प्रमाण विद्यमान हैं, जो उस सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य को दर्शाते हैं जिसमें इनका विकास हुआ है।[1]

औपनिवेशिक काल में मादक पदार्थों की अर्थव्यवस्था और भी जटिल हो गई। नशीले पदार्थों का उत्पादन और व्यापार अब सिर्फ स्थानीय उपयोग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक व्यापार का हिस्सा बन गया। ब्रिटिश शासन के दौरान अफीम और अन्य नशीले पदार्थों के उत्पादन तथा नियंत्रण को औपनिवेशिक आर्थिक हितों से जोड़कर देखा

गया, जिससे स्थानीय उपभोग और अवैध व्यापार दोनों में वृद्धि हुई। यूरोप तथा एशिया के बाजारों में इन वस्तुओं की आपूर्ति और माँग पर शोध ने दिखाया कि औपनिवेशिक नीति और आयात-निर्यात नेटवर्क का इस पर गहरा प्रभाव पड़ा है।[2]

आधुनिक भारत में मादक पदार्थों पर नीति और कानूनी नियंत्रण की शुरुआत 1985 में "नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम (NDPS Act, 1985)" के निर्माण से हुई, जिसने उत्पादन, व्यापार तथा उपभोग के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इस कानून के बाद भी, भारत में अवैध उत्पादन, तस्करी और उपभोग की चुनौतियाँ बनी हुई हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ पारंपरिक उपयोग की मौजूदगी रही है। राजस्थान जैसे राज्य में, जहाँ पारंपरिक आकांक्षाओं और कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था के कारण अफीम एवं अन्य मादक पदार्थों के संरक्षण और उपयोग की ऐतिहासिक जड़ें हैं, मादक पदार्थों की समस्या सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से अधिक जटिल रूप ले चुकी है।[3]

सामाजिक और कानूनी परिदृश्यों में परिवर्तन के बावजूद, मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव—स्वास्थ्य समस्याएँ, सामाजिक विघटन, अपराध का उभार—राजस्थान के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चिंता का विषय हैं। इसलिए इस शोध पत्र का उद्देश्य राजस्थान की सामाजिक, ऐतिहासिक और कानूनी पृष्ठभूमि में मादक पदार्थों के उत्पादन, व्यापार और उपभोग का विश्लेषण प्रस्तुत करना तथा राज्य-विशेष नीतिगत उपायों की दिशा में सुझाव देना है।

उद्देश्य

- मादक पदार्थों के उत्पादन का राजस्थान के विशेष संदर्भ में अध्ययन करना।
- मादक पदार्थों के व्यापार का राजस्थान के विशेष संदर्भ में अध्ययन करना।
- मादक पदार्थों के उपभोग के इतिहास का राजस्थान के विशेष संदर्भ में अध्ययन करना।

अनुसंधान क्रियाविधि

यह अध्ययन मुख्यतः वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है। शोध में द्वितीयक स्रोतों का व्यापक उपयोग किया गया है। राजस्थान के संदर्भ में मादक पदार्थों के उत्पादन, व्यापार, उपभोग एवं अपराध से संबंधित आँकड़ों का व्याख्यात्मक विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कानूनी ढाँचा (NDPS अधिनियम, 1985) तथा सामाजिक-आर्थिक कारकों का समेकित परीक्षण किया गया है। उपलब्ध साहित्य और सांख्यिकीय आँकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाले गए हैं तथा समस्या की प्रकृति को समझने के लिए गुणात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है। यह पद्धति विषय की समग्र और वस्तुनिष्ठ समझ विकसित करने में सहायक सिद्ध हुई है।

मादक पदार्थों की अवधारणा एवं वर्गीकरण

मादक पदार्थों का तात्पर्य उन रसायनों या पदार्थों से है जो मानव मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालते हैं, जिससे मनोदशा, व्यवहार, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएँ या चेतना बदल सकती हैं। इन्हें आम तौर पर नशा पैदा करने वाले पदार्थ के रूप में देखा जाता है और कानूनी रूप से इनके उत्पादन, व्यापार तथा उपभोग पर नियंत्रण लगाया जाता है। यह परिभाषा अंतरराष्ट्रीय रूप से नियंत्रित पदार्थों की अवधारणा से मेल खाती है, जिनका उपयोग केवल चिकित्सा या वैज्ञानिक उद्देश्यों तक सीमित रखा जाना चाहिए।

वर्गीकरण (Classification) मादक पदार्थों के प्रभाव एवं उपयोग के आधार पर किया जाता है।

नारकोटिक ड्रग्सः ये तंत्रिका तंत्र को दबाते हैं, दर्द निवारण करते हैं और शारीरिक निर्भरता का कारण बन सकते हैं। उदाहरणः अफीम, मॉर्फिन, कोडीन।

साइकोट्रोपिक पदार्थः ये मस्तिष्क की गतिविधियों को बदलते हैं और मूड, धारणा और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उदाहरणः हैलुसिनोजेन्स (LSD), एम्फ़ेटामिन्स, बेंज़ोडायाज़ेपाइन्स।

अन्य नियंत्रित पदार्थः कुछ रसायन और प्रीकर्सर केमिकल्स (जैसे एपहेड्रीन) जिन्हें मादक पदार्थ बनाने में उपयोग किया जाता है, इन्हें भी कानून के तहत नियंत्रित किया जाता है।[4]

इन पदार्थों को उनकी संभावित दुरुपयोग क्षमता, चिकित्सा उपयोग और जोखिम के आधार पर विभिन्न शेड्यूल/अनुसूचियों में विभाजित किया जाता है, ताकि नियंत्रण की तीव्रता और दंड की प्रकृति निर्धारित की जा सके।

राजस्थान का भौगोलिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य

राजस्थान भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जिसका भौगोलिक विस्तार लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राज्य का अधिकांश भाग शुष्क एवं अर्ध-शुष्क जलवायु क्षेत्र में आता है, जहाँ पश्चिमी भाग में थार मरुस्थल स्थित है। अरावली पर्वतमाला राज्य को भौगोलिक रूप से दो भागों—पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र और पूर्वी अपेक्षाकृत उपजाऊ क्षेत्र में विभाजित करती है। यह भौगोलिक विविधता कृषि, जल संसाधनों, आजीविका के साधनों और सामाजिक संरचना को गहराई से प्रभावित करती है।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, पशुपालन, खनिज संसाधनों और पर्यटन पर आधारित है। राज्य अफीम उत्पादन के लिए भी ऐतिहासिक रूप से जाना जाता है, विशेषकर दक्षिणी जिलों (जैसे चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़) में, जहाँ वैध लाइसेंस प्रणाली के अंतर्गत अफीम की खेती की जाती है। [5]

भौगोलिक सीमाएँ—विशेषकर पाकिस्तान से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा, राज्य को सामरिक और सुरक्षा दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण बनाती हैं।

सामाजिक दृष्टि से राजस्थान विविध सांस्कृतिक परंपराओं, जनजातीय समुदायों और ग्रामीण आबादी वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की लगभग 75 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिससे सामाजिक संरचना पर परंपरागत मूल्यों का प्रभाव स्पष्ट होता है। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की उल्लेखनीय उपस्थिति राज्य की सामाजिक संरचना को विशिष्ट बनाती है।[6]

यह पाया गया है कि सामाजिक-आर्थिक विषमता, सीमित रोजगार अवसर और प्रवासन की प्रवृत्ति राज्य के कई क्षेत्रों में सामाजिक चुनौतियों को जन्म देती है। इस प्रकार राजस्थान का भौगोलिक विस्तार, सीमावर्ती स्थिति, कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था और पारंपरिक सामाजिक ढाँचा मिलकर राज्य की सामाजिक गतिशीलता को परिभाषित करते हैं, जो किसी भी सामाजिक अध्ययन, विशेषकर मादक पदार्थों से संबंधित शोध के लिए महत्त्वपूर्ण पृष्ठभूमि प्रदान करता है।

राजस्थान में मादक पदार्थों का ऐतिहासिक विकास

राजस्थान में मादक पदार्थों का इतिहास प्राचीन और मध्यकालीन सामाजिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक

स्रोतों से ज्ञात होता है कि अफीम (अहिफेन) और भांग जैसे पदार्थों का उपयोग केवल नशे के रूप में ही नहीं, बल्कि औषधीय और सामाजिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप में अफीम के प्रयोग का उल्लेख मध्यकालीन फार्माकोपिया और आयुर्वेदिक ग्रंथों में मिलता है, जहाँ इसे दर्द निवारक और शारीरिक शांति प्रदान करने वाले पदार्थ के रूप में वर्णित किया गया है।

मुगल काल में अफीम का सीमित लेकिन संगठित उपयोग और व्यापार विकसित हुआ। राजस्थान के राजपूत शासकों के दरबारों में अफीम का सेवन सामाजिक और कूटनीतिक परंपराओं का हिस्सा माना जाता था, जिसे "अमल" की परंपरा के रूप में जाना जाता है। यह प्रथा विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में सामाजिक संबंधों और अतिथि-सत्कार से जुड़ी रही है। औपनिवेशिक काल में राजस्थान (तत्कालीन राजपूताना) में अफीम उत्पादन और व्यापार को नई दिशा मिली। ब्रिटिश शासन ने मालवा और राजपूताना क्षेत्र में अफीम उत्पादन को नियंत्रित और संगठित किया, जिससे यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा बना। चीन के साथ अफीम व्यापार और उससे संबंधित आर्थिक नीतियों ने इस क्षेत्र की कृषि और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया।

स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने मादक पदार्थों के उत्पादन और व्यापार को नियंत्रित करने हेतु कानूनी ढांचा विकसित किया, जिसका प्रमुख आधार नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अधिनियम, 1985 (NDPS Act) है। इसके बावजूद, राजस्थान में पारंपरिक उपयोग, वैध अफीम खेती और सीमावर्ती तस्करी मार्गों के कारण मादक पदार्थों का प्रश्न ऐतिहासिक और समकालीन दोनों संदर्भों में महत्त्वपूर्ण बना हुआ है।[7]

राजस्थान में मादक पदार्थों का उत्पादन

राजस्थान भारत के उन प्रमुख राज्यों में से एक है जहाँ वैध अफीम उत्पादन लाइसेंस प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। भारत सरकार का केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो अफीम की खेती, उत्पादन और संग्रहण को नियंत्रित करता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, झालावाड़ और कोटा जैसे जिले वैध अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। यह उत्पादन औषधीय उद्देश्यों हेतु मॉर्फिन और अन्य ओपिओइड दवाओं के निर्माण के लिए किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से मालवा राजपूताना क्षेत्र अफीम उत्पादन का प्रमुख केंद्र रहा है। औपनिवेशिक काल में इस क्षेत्र का अफीम व्यापार अंतरराष्ट्रीय बाजार, विशेषकर चीन, से जुड़ा हुआ था। राजस्थान में भांग (कैनाबिस) का सीमित पारंपरिक उत्पादन भी देखा जाता है, यद्यपि इसका वैध उत्पादन नियंत्रित है। अवैध उत्पादन और डोडा-चूरा की समस्या भी राज्य के कुछ हिस्सों में पाई गई है, जो सामाजिक एवं कानूनी चुनौती का कारण बनती है।

संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) की रिपोर्टों में भी भारत को वैध अफीम उत्पादक देशों में शामिल किया गया है, जहाँ उत्पादन सख्त निगरानी में होता है।[8] इस प्रकार राजस्थान में मादक पदार्थों का उत्पादन एक ओर वैध औषधीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, वहीं दूसरी ओर अवैध गतिविधियाँ प्रशासन और समाज के लिए चुनौती प्रस्तुत करती हैं।

राजस्थान में मादक पदार्थों का व्यापार एवं तस्करी

राजस्थान की भौगोलिक स्थिति मादक पदार्थों के व्यापार और तस्करी के अध्ययन में विशेष महत्त्व रखती है। राज्य की लगभग 1,070 किमी लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, जो इसे सामरिक दृष्टि से संवेदनशील बनाती है। विभिन्न अध्ययनों और आधिकारिक रिपोर्टों में यह उल्लेख किया गया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों का उपयोग अवैध मादक पदार्थों, विशेषकर हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी के लिए किया जाता है। भारत में मादक पदार्थों की

तस्करी का एक प्रमुख कारण "गोल्डन क्रिसेंट" (अफगानिस्तान-ईरान-पाकिस्तान) क्षेत्र की निकटता है, जहाँ से हेरोइन और अफीम का अवैध प्रवाह दक्षिण एशिया के विभिन्न हिस्सों में पहुँचता है। राजस्थान, पंजाब और गुजरात जैसे सीमावर्ती राज्यों के माध्यम से इन पदार्थों की आवाजाही की संभावना अधिक रहती है।

राजस्थान में वैध अफीम उत्पादन भी होता है, जिससे कभी-कभी डाइवर्जन (वैध उत्पादन से अवैध बाजार में प्रवाह) की समस्या सामने आती है। इस संदर्भ में भारत सरकार का नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अधिनियम, 1985 (NDPS Act) तस्करी और अवैध व्यापार पर कठोर दंड का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्टों के अनुसार राजस्थान में NDPS अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में समय-समय पर वृद्धि देखी गई है, जो राज्य में तस्करी और अवैध व्यापार की चुनौती को दर्शाता है। इस प्रकार राजस्थान में मादक पदार्थों का व्यापार एवं तस्करी भौगोलिक स्थिति, सीमावर्ती संवेदनशीलता और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से प्रभावित है। यह न केवल कानून-व्यवस्था की समस्या है, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक स्थिरता के लिए भी गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है।[9]

मादक पदार्थों के उपभोग के स्वरूप

मादक पदार्थों का उपभोग विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों से प्रभावित होता है तथा इसका स्वरूप क्षेत्र, आयु वर्ग और सामाजिक स्थिति के अनुसार भिन्न होता है। सामान्यतः मादक पदार्थों के उपभोग को पारंपरिक, मनोरंजनात्मक और निर्भरता आधारित स्वरूपों में वर्गीकृत किया जाता है। भारत में भांग, अफीम और शराब जैसे पदार्थों का पारंपरिक उपयोग धार्मिक और सामाजिक अवसरों से जुड़ा रहा है, जबकि आधुनिक समय में सिंथेटिक ड्रग्स और नशीले रसायनों का मनोरंजनात्मक उपयोग तेजी से बढ़ा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक मादक पदार्थों—जैसे अफीम और भांग—का सेवन सामाजिक परंपराओं और श्रम से जुड़ा पाया गया है, जबकि शहरी क्षेत्रों में युवाओं के बीच पार्टी ड्रग्स, हेरोइन और सिंथेटिक पदार्थों का उपयोग अधिक देखा गया है। शोध अध्ययनों के अनुसार युवाओं में नशे का बढ़ता प्रचलन तनाव, बेरोजगारी, सामाजिक दबाव और साथियों के प्रभाव से जुड़ा हुआ है।[10]

मादक पदार्थों के उपभोग के स्वरूप में आयु और लिंग के आधार पर भी अंतर पाया जाता है। AIIMS द्वारा किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण में पाया गया कि पुरुषों में नशीले पदार्थों का उपयोग महिलाओं की तुलना में अधिक है, किंतु हाल के वर्षों में महिलाओं और किशोरों में भी इसका प्रसार बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त, यह भी दर्शाता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में श्रम थकान कम करने और मानसिक तनाव से राहत पाने के लिए नशीले पदार्थों का उपयोग अधिक देखा जाता है। वर्तमान समय में मादक पदार्थों के उपभोग का स्वरूप पारंपरिक उपयोग से आगे बढ़कर सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या बन चुका है। इससे मानसिक विकार, शारीरिक रोग और सामाजिक विघटन जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इसलिए उपभोग के स्वरूपों को समझना नशा नियंत्रण नीतियों और जन-जागरूकता कार्यक्रमों के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है।[11]

राजस्थान में मादक पदार्थ एवं अपराध का संबंध

राजस्थान में मादक पदार्थों और अपराध के बीच संबंध एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक-कानूनी मुद्दा है। मादक पदार्थों का अवैध व्यापार, तस्करी, भंडारण और वितरण सीधे तौर पर संगठित अपराध से जुड़ा हुआ है। राज्य की भौगोलिक स्थिति, विशेषकर पाकिस्तान से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा, तस्करी के जोखिम को बढ़ाती है, जिससे NDPS अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की संख्या प्रभावित होती है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की Crime in India रिपोर्ट के अनुसार, NDPS अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में राजस्थान लगातार उल्लेखनीय स्थान रखता है। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि मादक पदार्थों का अवैध नेटवर्क राज्य में सक्रिय है; तस्करी के मामलों के अतिरिक्त, मादक पदार्थों के सेवन से जुड़े अपराध-जैसे चोरी, हिंसा और घरेलू अपराध भी सामाजिक स्तर पर देखे जाते हैं। नशीली दवाओं की लत आर्थिक दबाव उत्पन्न करती है, जिससे व्यक्ति अपराध की ओर प्रवृत्त हो सकता है। इसी प्रकार, भारत में मादक पदार्थ नीति और अपराध पर किए गए विश्लेषण में यह स्पष्ट किया गया है कि कठोर दंडात्मक व्यवस्था के बावजूद तस्करी नेटवर्क स्थानीय स्तर पर सक्रिय रहते हैं।[12]

राजस्थान के संदर्भ में वैध अफीम उत्पादन और अवैध डाइवर्जन की समस्या भी अपराध से जुड़ी चुनौती है। इसके अतिरिक्त, सीमावर्ती जिलों में अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा प्रस्तुत करती है। इस प्रकार, राजस्थान में मादक पदार्थों और अपराध का संबंध बहुआयामी है, जिसमें तस्करी, संगठित अपराध, आर्थिक मजबूरी और सामाजिक विघटन जैसे तत्व सम्मिलित हैं। प्रभावी नियंत्रण हेतु कानून प्रवर्तन, पुनर्वास और सामुदायिक जागरूकता का समन्वित दृष्टिकोण आवश्यक है।[13]

निष्कर्ष

राजस्थान में मादक पदार्थों का प्रश्न ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और कानूनी आयामों से जुड़ा एक जटिल विषय है। राज्य में अफीम और भांग जैसे पदार्थों का पारंपरिक उपयोग ऐतिहासिक रूप से सामाजिक परंपराओं और कृषि अर्थव्यवस्था से संबद्ध रहा है, वहीं औपनिवेशिक काल में अफीम उत्पादन और व्यापार ने इसे वैश्विक आर्थिक तंत्र से जोड़ दिया। स्वतंत्रता के बाद NDPS अधिनियम, 1985 जैसे कठोर कानूनों के माध्यम से उत्पादन, व्यापार और उपभोग को नियंत्रित करने के प्रयास किए गए, फिर भी तस्करी, अवैध डाइवर्जन और बढ़ते उपभोग की चुनौतियाँ बनी हुई हैं। राजस्थान की सीमावर्ती भौगोलिक स्थिति, विशेषकर पाकिस्तान से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा, राज्य को मादक पदार्थों की तस्करी के संदर्भ में संवेदनशील बनाती है। साथ ही, सामाजिक-आर्थिक विषमताएँ, बेरोजगारी, प्रवासन और युवाओं में बदलती जीवनशैली नशीले पदार्थों के उपभोग को प्रभावित करती हैं। इसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य समस्याएँ, पारिवारिक विघटन, अपराध में वृद्धि और सामाजिक अस्थिरता जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और विकास से भी गहराई से जुड़ी है। अतः प्रभावी समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसमें कठोर कानून प्रवर्तन, सीमा सुरक्षा, जन-जागरूकता, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, तथा नशा-मुक्ति और पुनर्वास सेवाओं का सुदृढ़ीकरण शामिल हो। अंततः, राजस्थान में मादक पदार्थों के उत्पादन, व्यापार और उपभोग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हुए संतुलित नीति, सामुदायिक भागीदारी और साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से ही इस समस्या का स्थायी समाधान संभव है।

संदर्भ सूची

1. मीना, सुनीता (2023). प्राचीन भारत में मादक द्रव्यों का प्रचलन: ऐतिहासिक अवलोकन. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेटिव रिसर्च इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, 12(1). https://doi.org/10.15680/IJIRSET.2023.1201009
2. मिल्स जे.एच. एशिया में ड्रग्स, उपभोग और आपूर्ति: औपनिवेशिक भारत में कोकीन का मामला, लगभग 1900-लगभग 1930. जर्नल ऑफ एशियन स्टडीज. 2007;66(2):345-362. doi:10.1017/S0021911807000587

3. भारती, जे., सहोता, आर., परवीन, एस., एवं शर्मा, ए. (2023). फ्रॉम ट्रेडिशन टू ट्रबल्स: इवैल्यूएटिंग द कंसम्पशन ऑफ ओपियम एज़ सोशल प्रैक्टिस इन वेस्टर्न राजस्थान. जर्नल ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल रिसर्च, 12, आर्टिकल 236236। https://doi.org/10.4303/JDAR/236236
4. परमार ए, नरसिम्हा वीएल, नाथ एस. भारत में राष्ट्रीय औषधि कानून, नीतियां और कार्यक्रम: एक वर्णनात्मक समीक्षा। इंडियन जे साइकोल मेड. 2024 जनवरी;46(1):5-13. doi: 10.1177/02537176231170534. Epub 2023 जून 11. PMID: 38524944; PMCID: PMC10958082.
5. केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, भारत सरकार – https://cbn.nic.in
6. भारत की जनगणना, 2011 – https://censusindia.gov.in
7. भारती, जे., सहोता, आर., परवीन, एस., एवं शर्मा, ए. (2023). परंपरा से परेशानियों तक: पश्चिमी राजस्थान में एक सामाजिक प्रथा के रूप में अफीम के सेवन का मूल्यांकन। जर्नल ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल रिसर्च, 12, अनुच्छेद 236236। https://doi.org/10.4303/JDAR/236236
8. वांग सी, लस्सी एन. गैर-कानूनी फेंटानिल से मुकाबला: क्या चीन के बढ़ते रेगुलेशन से भारत में पब्लिक हेल्थ संकट पैदा होगा? फ्रंट पब्लिक हेल्थ. 2022 अक्टूबर 14;10:969395. doi: 10.3389/fpubh.2022.969395. PMID: 36311594; PMCID: PMC9614337.
9. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), भारत में अपराध – https://ncrb.gov.in
10. अमारो एच, सांचेज़ एम, बॉतिस्ता टी, कॉक्स आर. नशीली दवाओं के इस्तेमाल से सामाजिक कमज़ोरियाँ: तनाव, सामाजिक रूप से ज़हरीला माहौल, और भेदभाव और नस्लवाद। न्यूरोफार्माकोलॉजी। 2021 मई 1;188:108518. doi: 10.1016/j.neuropharm.2021.108518. Epub 2021 मार्च 11. PMID: 33716076; PMCID: PMC8126433.
11. दीप, अमर. (2022). पंजाब में ड्रग्स के इस्तेमाल की समस्या: एक स्टडी : इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ लॉ मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज़. 10.10000/IJLMH.112554.
12. कुमार, सुशील. (2023). भारत में ड्रग्स के गलत इस्तेमाल से निपटना. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल रिव्यू, लॉ एंड सोशल साइंसेज. 3. 1476-1483. 10.54443/ijerlas.v3i5.1017.
13. कर्माकर, एस., और सिकदर, डी. पी. (2021). भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के पैटर्न और इसके परिणाम। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, 10(12)। https://doi.org/10.36106/ijsr